गुरू घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्र.361/अका./शोध/राजनीति /2021

बिलासपुर, दिनॉक 27 DEC 2021

प्रति,

प्रियंका द्विवेदी (शोधार्थी)
राजनीति विज्ञान विभाग,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.)

(पंजीकृत डाक द्वारा)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतममानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 13.11.2021 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) राजनीति विज्ञान विद्यापीठ–सामाजिक विज्ञान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:–

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
लोकनीति और सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्लम क्षेत्र की महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन (बिलासपुर शहरी स्लम बस्तियों की महिलाओं के विशेष संदर्भ में)		डॉ0 अनुपमा सक्सेना आचार्य,एवं विभागाध्यक्ष,राजनीति विज्ञान विभाग,गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	
शोध केन्द्र	पंजीयनकमॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनकमॉक
राजनीति विज्ञान विभाग (विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	195314602	13.11.2021	GGV/14/8183

1 आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्यकरेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

कमशः

2 यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि मेंवृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा।

3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/-(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।

4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।

5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम-2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम-2018 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लेवें ।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

कमांक 362/अका0/शोध/ राजनीति /2021 बिलासपुर, दिनॉक 27 DEC 2021

प्रतिलिपि:-

1 शोध निर्देशक-डॉ0 अनुपमा सक्सेना आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

2 विभागाध्यक्ष,राजनीति विज्ञान विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।

3 सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

4 ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

5 संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरू घासीदासविश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)